फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

गोपीराम बनाम सरकार, तिलोकाराम

किस्म मुकदमा अवमानना प्रा.पत्र नम्बर......11..../2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.05.19	अभिभाषक प्रार्थी श्री सुनील भाटी उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुआ। जो पंजीबद्व हो। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अवमानना प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए कथन किया कि न्यायालय हाजा के समक्ष उपखण्ड अधिकारी लूणकरनसर के आदेश दिनांक 12–06–2018 की अपील प्रस्तुत की गई थी। उक्त अपील दिनांक 22–10–2018 को निर्णित करते हुए निर्देशित किया गया था कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार को निर्देशित करावें कि वे स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में भू–प्रबन्ध विभाग व राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित करते हुए मौका निरीक्षण करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि/रास्ते की भूमि की निशानदेही करते हुए अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर–भीतर प्रस्तुत करें। उक्त आदेश की किसी भी उच्चतर न्यायालय में अपील/निगरानी प्रस्तुत नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश अंतिम हो चुका है। उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही यथा मौका रिपोर्ट तैयार नहीं करवाई गई अपितु पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना दिनांक 16–05–2019 को पत्र क्रमांक एसडीओ/राजस्व/19/765 के माध्यम से तहसीलदार लूणकरनसर को मुरब्बा नम्बर 189/45 में कटान के स्वीकृत रास्ते को खुलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश के अनुसरण में तहसीलदार लूणकरनसर द्वारा दिनांक 17–05–2019 को भू–अभिलेख निरीक्षक को उक्त रास्ता खलुवालाने के बाबत् निर्देशित किया गया है। जबकि न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में पक्षकारों की उपस्थिति में बिना सीमाज्ञान करवाये रास्ता खलवाये जाने का आदेश दिया जाना स्पष्ट रूप से न्यायालय हाजा के आदेशों की	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

अवहेलना की श्रेणी में आता है। प्रकरण में जब न्यायालय हाजा द्वारा यह स्पष्ट रूप से सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई/उपस्थिति के उपरान्त वादग्रस्त भूमि के सीमाज्ञान के आदेश प्रसारित किये जा चुके थे तो ऐसी स्थिति में उक्त आदेश की पालना किये जाने के बजाय रास्ता खुलवाये जाने के आदेश प्रसारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्रसारित आदेश को अनदेखा करना व किसी एक पक्ष को नाजायज रूप से फायदा पहुँचाना परिलक्षित होता है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। अतः प्रार्थी का अवमानना स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि वे न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में सीमा ज्ञान करावें व तब तक 16–05–2019 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी को अवमानना प्रार्थना पत्र सुना गया तथा पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22–10–2018 को आदेश प्रसारित करते हुए निर्देशित किया गया था कि संबंधित तहसीलदार स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में भू–प्रबन्ध विभाग की संयुक्त टीम गठित करते हुए मौका निरीक्षण करते हुए पक्षकारों के धारण की भूमि/रास्ते की भूमि की निशानदेही करते हुए एक माह में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अधीनस्थ न्यायालय उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर नियमानुसार दोनों पक्षकारों को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पालना किये बिना एकतरफा तौर पर दिनांक 16–05–2019 को रास्ता खुलवाने हेतु तहसीलदार को निर्देशित किया गया है। उक्त आदेश में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश की पालना के संबंध में कोई टिप्पणी अंकित नहीं की गई है। जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना सुनिश्चित नहीं की गई है। अतः इस संबंध में उपखण्ड अधिकारी, लूणकरनसर को निर्देशित किया जाता है कि वे इस न्यायालय के पूर्व प्रसारित आदेश दिनांक 22–10–2018 की पालना में राजस्व अधिकारियों की निगरानी में वादग्रस्त भूमि का सीमाज्ञान कराते हुए विधि सम्मत कार्यवाही करें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व बीकानेर प्राधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner